

प्रेस-नोट
थाना पूँछ, जनपद झाँसी

दिनांक- 01.10.2025

- जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में चेकिंग के दौरान दिनांक 30.09.2025 को थाना पूँछ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त - अशोक कुमार पुत्र स्व० गोपी निवासी ग्राम चितगुंवा थाना पूँछ जनपद झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष को सिकन्दरा बाईपास पर बना प्रतीक्षालय थाना क्षेत्र पूँछ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 205/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समझ पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्त -

अशोक कुमार पुत्र स्व० गोपी निवासी ग्राम चितगुंवा थाना पूँछ जनपद झाँसी उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

- 1- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 2- 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास

- 1. मु0अ0सं0 115/2010 धारा 60 आबकारी अधि० व धारा 272 आईपीसी थाना पूँछ जिला झाँसी
- 2. मु0अ0सं0 55/2014 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना पूँछ जिला झाँसी
- 3. मु0अ0सं0 68/2017 धारा 13 जुआ अधि० थाना पूँछ जिला झाँसी
- 4. मु0अ0सं0 204/2025 धारा 13 जुआ अधि० थाना पूँछ जिला झाँसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1. उ0नि0 दलवीर सिंह थाना पूँछ जिला झाँसी
- 2. उ0नि0 सुरजीत सिंह चौहान थाना पूँछ जिला झाँसी
- 3. हे0का0354 नाजिम खां थाना पूँछ जिला झाँसी
- 4. का0 774 अनुराग सिंह थाना पूँछ जिला झाँसी

